रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012025-260291
CG-DL-E-17012025-260291

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2025/पौष 27, 1946
No. 36] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2025/ PAUSHA 27, 1946

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 65 (अ).—केंद्रीय सरकार,केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखितनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन)नियम,2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में,--

(i) खंड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(कख) "अभिहित पोर्टल"से ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल या कोई अन्य पोर्टल अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;"।

(ii) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ङ) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी"से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अभिप्रेत है;"

3. उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"3. **भारत में स्थानीय केबल ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन –**(1) स्थानीय केबल ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा और उसे प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् नवीकृत किया जा सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण या इसके नवीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्ररूप 1 में ऑनलाइन किया जाएगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा –

(i) पांच हजार रुपए की प्रक्रिया फीस ;

(ii) प्ररूप 1 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज ; और

(iii) प्ररूप 2 में घोषणा ।

(4) रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रक्रिया फीस अभिहित पोर्टल में प्रदान किए गए विकल्प के अनुसार संदत्त की जाएगी ।

(5) नियम 5 के अधीन केबल ऑपरेटर द्वारा रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन, रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के कम से कम नब्बे दिन पूर्व किया जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात् विलंब को क्षमा कर सकेगा, यदि ऐसा आवेदन रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के पूर्व किया जाता है ।"।

4. उक्त नियमों के नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"**5. स्थानीय केबल ऑपरेटर का रजिस्ट्रीकरण –** (1) स्थानीय केबल ऑपरेटर के लिए, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए सभी प्रकार से पूर्ण, आवेदक द्वारा प्रमाणित और स्वचालित रीति में सत्यापित आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी,--

(क) यदि आवश्यक समझे, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक नियम 2क के अधीन पात्रता मानदंड और नियम 3 की अपेक्षाओं को पूर्ण करता है, पूर्व निर्धारित मानदंड पर चयनित विनिर्दिष्ट आवेदनों का और सत्यापन कर सकेगा ; और

(ख) नियम 3 की अपेक्षाओं तथा नियम 5क में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, प्ररूप 3 में, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण अनुदत्त नहीं किया जा सकता तो वह ऐसी अस्वीकृति के कारणों को आवेदक को सूचित करेगा ।

(3) आवेदक, ऐसी अस्वीकृति की संसूचना की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने या उसके नवीकरण को अस्वीकार करने के विरुद्ध, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक में यथानिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार को अपील फाइल कर सकेगा ।

(4) स्थानीय केबल ऑपरेटरों को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में वैध होगा ।"

5. उक्त नियमों के नियम 11ग में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु आवेदक ऐसे अस्वीकृत किए जाने की संसूचना की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने या नवीकरण करने को अस्वीकृत करने के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा ।"

6. उक्त नियमों में, प्ररूप (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

"प्ररुप 1

(नियम 3(1) देखें)

(आनॅ लाइन भरें)

बहुप्रणाली आपरेटर से भिन्न केबल आपरेटर के रुप में रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण*के लिए आवेदन प्ररुप

सेवा में,

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

....

केबल आपरेटर के रुप में *रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रकरण के नवीकरण के लिए आवेदन

प्ररुप का भाग	लागू होना
क	(i) नए रजिस्ट्रीकरण के लिए (ii) पोर्टल पर पहली बार रजिस्ट्रकरण के नवीकरण के मामलों में या जहां विशिष्टियों और समर्थनकारी दस्तावेजों में किए गए पिछले रजिस्ट्रीकरण के समय से परिवर्तन किया गया है किंतु पदाभिहित पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचित नहीं किया है
ख	नवीकरण के मामलों में, उन मामलों से भिन्न, जो भाग क में उल्लिखित हैं

भाग क

1. (क) आवेदक का नाम (व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय)

(ख) आयु/स्थापन की तारीख/निगमन की तारीख

2. (क) पता (कार्यालय)

(ख) टेलीफोन न. (यदि कोई हो)

3. (क) नागरिकता (व्यष्टि आवेदकों/व्यष्टियों के निकाय के लिए)

(ख) कपंनी की दशा में निगमन के ब्यौरे

4. ऐसे परिसर/नवीकरण के लिए संदत्त फीस की रकम.............. रु.

5. (क) रजिस्ट्रीकरण का पता जहां से सेवा उपलब्ध कराई जाएगी

(ख) केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन का प्रस्तावित क्षेत्र (वैकल्पिक)

6. (क) वह तारीख जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क प्रचालित हो रहा है/स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है

(ख) उपलब्ध कराए जा रहे या स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित चैनलों की संख्या

7. (क) क्या टेलीविजन रिसीव ओनली (टीवीआरओ) का उपयोग कर रहे हैं हां/नहीं

(ख) यदि हां, तो टीवीआर की संख्या और आकार.................

(ग) अवस्थान............

8. संलग्न पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति हां/नहीं
(केवल रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए भरा जाए)

9. प्रस्तुत/संलग्न किए जाने वाली विशिष्टियां/दस्तावेज

(क) व्यष्टि की दशा में, -

(i) पहचान का सबूत

(ii) पैन कार्ड की प्रति

(iii) पिछली आयकर विवरणी, यदि कोई हो, की प्रति

(iv) जीएसटी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, की प्रति

(ख) संगम या व्यष्टियों के निकाय की दशा में, -

(i) वह दस्तावेज जिसके द्वारा संगम या व्यष्टियों का निकाय अस्तित्व में आया है और उसका पता

(ii) पदाधिकारियों के ब्यौरे और पदाधिकारियों की पहचान का सबूत

(iii)संगम के पैन कार्ड की प्रति

(iv) पिछली आयकर विवरणी, यदि कोई हो, की प्रति

(v) जीएसटीरजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, की प्रति

(ग) कंपनियों की दशा में, -

(i) संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों की प्रतियों सहित कंपनी के निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति, निदेशक बोर्ड, मुख्य कार्यपालकों और शेयरधारण पैटर्न के ब्यौरे

(ii) 10 प्रतिशत या इससे अधिक शेयरों वाले निदेशकों, मुख्य कार्यपालकों और शेयर धारकों के ब्यौरे

(iii)कंपनी के पैन कार्ड की प्रति

(iv) पिछली आयकर विवरणी, यदि कोई हो, की प्रति

(v) जीएसटी रजिस्ट्रीकरण् प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, की प्रति

(टिप्पण –1. पहचान के सबूत के रुप में कार्य करने के लिए आधारकार्ड की प्रति/रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने का इच्छुक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास आधार संख्या नहीं है या आधार संख्या प्रस्तुत करने के लिए अनिच्छुक है, उससे पहचान के रुप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज के साथ पैन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी अर्थात् :-

(i) बैंक या डाकघर पास बुक, फोटोसहित, या

(ii) पासपोर्ट; या

(iii) राशनकार्ड; या

(iv) मतदाता पहचान पत्र; या

(v) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(vi) पहचान का प्रमाणपत्र, जिस पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी शासकीय लेटरहैड पर ऐसे व्यक्ति की फोटो लगी हो, या

(vii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

टिप्पण 2. - उपरोक्त विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की दशा में, उस पदाभिहित पोर्टल के माध्यम से ऐसे परिवर्तन होने के तीन दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

10. प्ररुप 2 में संलग्न 10 रु. के स्टाम्प पत्र पर घोषणा हां/नहीं

भाग ख

1. आवेदक का नाम (व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय)*....................
2. स्थानीय केबल आपरेटर के रूप में आवेदक की रजिस्ट्रीकरण संख्या
3. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि पिछले रजिस्ट्रीकरण के समय से ही विशिष्टियों और समर्थकारी दस्तावेजों के परिवर्तनों को पदाभिहित पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचित कर दिया गया है।
4. प्ररूप 2 में संलग्न 10/- रुपए के स्टाम्प पत्र पर घोषणा। हां/नहीं

मैं/हम आवेदक* .... (व्यष्टि/ फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय)यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिए गए तथ्य सभी बाबत सही हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

*(व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय)

स्थान : नाम................................

तारीख : पता ....

*उस शब्द या उन शब्दों को काट दें, जो लागू न हो।"

6. उक्त नियम में, प्ररूप 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप 3

(नियम 5(1) देखें)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री .... निवासी .... कंपनी का नाम .... केबल टेलीविजन नेटवर्क चलाने के लिए स्थानीय केबल आपरेटर (व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यष्टियों का संगम/व्यष्टिकों का निकाय) के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... से पांच वर्ष की अवधि के लिए .... में स्थित है।

रजिस्ट्रीकरण सं. .... है।

2. यह प्रमाणपत्र सर्वत्र भारत के राज्यक्षेत्र में ही वैध है।

3. यह प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि आवेदक ऐसे केबल आपरेटर के स्तर पर सृजित चैनल पर उपलब्ध कराए गए कोई कार्य क्रमण सेवा नहीं करेगा जो क्रमश: केबल टेलीविजन नेटवर्कनियम, 1994 के नियम 6 और नियम 7 में अधिकथित कार्यक्रम तथा विज्ञापन कोड के उल्लंघन में है।

4. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय है।

5. यह प्रमाणपत्र ऊपर उपदर्शित अवधि के लिए या धारक द्वारा केबल सेवा चलाए जाने तक या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र की वापसी स्वीकार किए जाने तक वैध रहेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

स्थान : ....

तारीख :

केबल आपरेटर के परिसर पर प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किया जाए ।

*जो भी उचित हो टिक करे ।

7. उक्त नियम में, प्ररूप 3क और प्ररूप 4 का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. 2/63/2017-डीएएस]

संजीव शंकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 729(अ) तारीख 29 सितंबर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए थे :--

1.	सा.का.नि. 453(अ), तारीख 29 मई, 1995
2.	सा.का.नि. 820(अ), तारीख 29 दिसंबर, 1995
3.	सा.का.नि. 459(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 1996
4.	सा.का.नि. 597(अ), तारीख 20 अगस्त, 1999
5.	सा.का.नि. 710(अ), तारीख 8 सितंबर, 2000
6.	सा.का.नि. 719(अ), तारीख 13 सिंतबर, 2000
7.	सा.का.नि. 26(अ), तारीख 18 जनवरी, 2001
8.	सा.का.नि. 282(अ), तारीख 11मई, 2006
9.	सा.का.नि. 452(अ), तारीख 31 जुलाई, 2006
10.	सा.का.नि. 459(अ), तारीख 2 अगस्त, 2006
11.	सा.का.नि. 469(अ), तारीख 9 अगस्त, 2006
12.	सा.का.नि. 697(अ), तारीख 11 नवंबर, 2006
13.	सा.का.नि. 286(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2007
14.	सा.का.नि. 482(अ), तारीख 12 जुलाई, 2007
15.	सा.का.नि. 774(अ), तारीख 3 नवंबर, 2007
16.	सा.का.नि. 104(अ), तारीख 25 फरवरी, 2008
17.	सा.का.नि. 413(अ), तारीख 29 मई, 2008
18.	सा.का.नि. 138(अ), तारीख 27 फरवरी, 2009
19.	सा.का.नि. 411(अ), तारीख 12 जून, 2009
20.	सा.का.नि. 940(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2012
21.	सा.का.नि. 1521(अ), तारीख 6 जुलाई, 2012
22.	सा.का.नि. 216(अ), तारीख 21 मार्च, 2015
23.	सा.का.नि. 804(अ), तारीख 19 अगस्त, 2016
24.	सा.का.नि. 416(अ), तारीख 17 जून, 2021
25.	सा.का.नि. 121, तारीख 18 सिंतबर, 2023
26.	सा.का.नि. 719(अ), तारीख 3 अक्तूबर, 2023

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2025

G.S.R. 65 (E)— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cable Television Networks Rules, 1994, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, -

   (i) after clause (aa), the following clause shall be inserted, namely:-
   "(ab) "designated portal" means the Broadcast Seva Portal or any other portal notified by the Central Government;".

   (ii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely: -
   "(e) "registering authority" means the registering authority notified under clause (h) of section 2 of the Act;"

3. In the said rules, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely: -

   "3. **Application for registration as a local cable operator in India**. - (1) Every application for registration as a local cable operator shall be made online and may be renewed after every five years.

   (2) The application for registration or renewal of registration shall be made online to the registering authority in Form 1.

   (3) Every application for registration or renewal of registration shall be accompanied by-
   (i) a processing fee of rupees five thousand only ; and
   (ii) the requisite documents mentioned in Form 1; and,
   (iii) declaration in Form 2.

   (4) The processing fee for registration or renewal of registration shall be paid as per the option provided in the designated portal.

   (5) The application for renewal of registration by a cable operator under rule 5 shall be made at least ninety days before the expiry of registration.

Provided that the registering authority may condone the delay after considering the reasons furnished by the applicant, if such application is made before the expiry of registration.".

4. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:

"5. **Registration of local cable operator**: - (1) On receipt of application for registration or renewal of registration as the case may be for local cable operator, complete in all respects, certified by the applicant and verified in an automated manner, the registering authority, may -

(a) if deemed necessary, undertake further verification on specific applications, selected on predetermined criteria to ensure that the applicant fulfils eligibility criteria under rule 2A and the requirements of rule 3; and

(b) subject to the requirements of rule 3 and terms and conditions specified in rule 5A, issue certificate of registration or renewal of registration, as the case may be, in Form 3.

(2) Where the registering authority is satisfied that registration or renewal of registration cannot be granted, it shall inform the applicant of the reasons for such refusal.

(3) The applicant may file an appeal to the Central Government as referred to in second proviso to sub-section (5) of section 4 of the Act against the refusal of grant or renewal of registration online within a period of thirty days of receipt of communication of such refusal.

(4) The registration granted to local cable operators shall be valid throughout the territory of India."

5. In the said rules, in rule 11C, after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted namely:

"Provided that the applicant may prefer an appeal against the order of the registering authority refusing grant or renewal of registration, to the Central Government within a period of thirty days of receipt of communication of such refusal."

6. In the said rules, for Form 1, the following form shall be substituted, namely: -

" FORM 1

(see rule 3(1))

(To be filled online)

FORM OF APPLICATION FOR *REGISTRATION/RENEWAL OF REGISTRATION AS A CABLE OPERATOR OTHER THAN MULTI- SYSTEM OPERATOR

To
Ministry of Information and Broadcasting

\- - - - - - - - - - - - - -

Application for *registration/renewal of registration as a cable operator.

Part of Form	Applicability
A	(i) For fresh registration (ii) In cases of renewal of registration for the first time on portal or where there has been change in the particulars and supporting documents since last registration but not intimated to the registering authority through designated portal
B	In cases of renewal of registration, other than those mentioned in part A

PART A

1. (a) Name of Applicant (individual/firm/company/association of persons/body of individuals)
   (b) Age/date of establishment /date of incorporation
2. (a) Address (office)
   (b) Telephone number (if any)
3. (a) Citizenship (for individual applicants / body of individuals)
   (b) Details of incorporation in case of company
4. Amount of fee paid for registration / renewal Rs. …………………….
5. (a) Address of premises from where service will be provided
   (b) Proposed area of operation of Cable Television Network (optional)
6. (a) Date from which the cable television network is operating / proposed to be set up
   (b)Number of channels being provided / proposed to be set up.
7. (a) Whether using Television Receive Only (TVRO) Yes / NO
   (b) If yes, number and size of TVRO ……………………
   (c) Location ……………………………
8. Copy of earlier registration certificate enclosed Yes / No
   (To be filled in only for renewal of registration)
9. Particulars/documents to be furnished/attached:
   (A) In case of an individual
      (i) Proof of identity
      (ii) Copy of PAN card
      (iii) Copy of last Income Tax Return, if any
      (iv) Copy of GST Registration Certificate, if any.
   (B) In case of association or body of individuals
      (i) Document by which the association or body of individuals has come into existence and its address
      (ii) Details of office bearers and proof of identity of the office bearers.
      (iii) Copy of PAN card of the association.
      (iv) Copy of last Income-Tax return, if any.
      (v) Copy of GST Registration Certificate, if any.
   (C) In case of companies
      (i) A copy of the certificate of Incorporation of the company along with copies of Memorandum of Association and Articles of Association, details of Board of Directors, chief executives and shareholding pattern.
      (ii) Proof of identity of Directors, chief executives and shareholders with 10% or more shares.
      (iii) Copy of PAN Card of the company.
      (iv) Copy of last Income-Tax return, if any
      (v) Copy of GST registration certificate, if any.

(Note 1- Copy of Aadhaar Card to serve as proof of identity. Any person desirous of applying for registration, who does not possess Aadhaar number or is unwilling to furnish Aadhaar number shall be required to furnish the PAN along with one of the following documents as proof of identity, namely;-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
(ii) Passport; or
(iii) Ration Card; or
(iv) Voter Identity Card; or

(v) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988); or

(vi) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on a official letter head; or

(vii) Any other document as specified by the Ministry of Information and Broadcasting.

Note 2- In case of any change in the above particulars, same shall be intimated to the registering authority within a period of thirty days of such changes taking place through online designated portal.

10. Declaration in Form 2 on a stamp paper of Rs. 10 enclosed Yes / NO

PART B

1. Name of Applicant (individual/firm/company/association of persons/body of individuals) *………………………….
2. Registration number of applicant as local cable operator …………………….
3. I/We declare that changes in the particulars and supporting documents since last registration have been intimated to the registering authority through designated portal
4. Declaration in Form 2 on stamp paper of Rs. 10 enclosed. Yes/No

I/We-----------------------------the applicant(s)*(Individual/firm/company/association of persons/body of individuals) do hereby declare that the above facts are correct in all respects.

Signature of Applicant
*(Individual/firm/company/association of persons/body of individuals)

Place: Name------------------------

Date: Address-----------------------

*Score out the word or words which are not applicable."

6. In the said rules, for Form 3, the following Form shall be substituted, namely: -

"FORM 3
(See rule 5 (1))
Government of India
Ministry of Information and Broadcasting
REGISTRATION CERTIFICATE

Shri/Shrimati/M/s --------------- resident of/ the Company named,………………………is registered as a local cable operator (individual, firm,.*Company, association of persons or body of individuals) for running a cable television network having registered office at……………………. for a period of five years with effect from ……………………..
The registration number is ------------------------

2. This certificate is only valid throughout the territory of India.

3. This certificate is subject to the condition that the applicant shall not carry any programming service provided on the channel generated at the level of such cable operator, which is in violation of the programme and advertisement code laid down in rule 6 and 7 respectively of the Cable Television Networks Rules, 1994.

4. This registration certificate is not transferable.

5. The certificate shall remain valid for the period indicated above or till the holder carries on the cable service or till the surrender of the certificate is accepted by the competent authority.

Ministry of Information and Broadcasting

Place …………………

Date:

TO BE DISPLAYED PROMINENTLY ON THE PREMISES OF THE CABLE OPERATOR.

* Tick whichever is appropriate."

7. In the said rules, FORM 3A and FORM 4 shall be omitted.

[F.No. 2/63/2017-DAS]

SANJIV SHANKAR , Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 29th September, 1994 and were subsequently amended *vide*:-

(1) G.S.R 453 (E), dated 29th May, 1995
(2) G.S.R 820 (E), dated 29th December, 1995
(3) G.S.R. 459(E), dated the 8th October, 1996.
(4) G.S.R 597 (E), dated 20th August, 1999
(5) G.S.R. 710(E), dated the 8th September, 2000.
(6) G.S.R. 719(E), dated the 13th September, 2000.
(7) G.S.R. 26(E), dated the 18th January, 2001.
(8) G.S.R. 282(E), dated the 11th May, 2006.
(9) G.S.R. 452(E), dated the 31st July, 2006.
(10) G.S.R. 459(E), dated the 2nd August, 2006.
(11) G.S.R. 469(E), dated the 9th August, 2006.
(12) G.S.R. 697(E), dated the 11th November, 2006.
(13) G.S.R. 286(E), dated the 11th April, 2007.
(14) G.S.R. 482(E), dated the 12th July, 2007.
(15) G.S.R. 774(E), dated the 3rd December, 2007.
(16) G.S.R. 104(E), dated the 25th February, 2008.
(17) G.S.R. 413(E), dated the 29th May, 2008.
(18) G.S.R. 138(E), dated the 27th February, 2009.
(19) G.S.R. 411(E), dated the 12th June, 2009.
(20) S.O. 940(E), dated the 28th April, 2012.
(21) S.O. 1521(E), dated the 6th July, 2012.
(22) G.S.R. 216(E), dated the 21st March, 2015.
(23) G.S.R. 804(E), dated the 19th August, 2016.
(24) G.S.R. 416(E), dated the 17th June, 2021.
(25) G.S.R. 121, dated the 18th September 2023.
(26) G.S.R. 719(E), dated the 3rd October 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.17 14:51:42 +05'30'